


6

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0



P229-

रंगलाल साहू तनय श्री रामधनी साहू (मृत) जरिए विधिक उत्तराधिकारी:-

R5028-II/16

1. श्रीमती सुधरनिया साहू पुत्री स्व0 श्री रंगलाल साहू उम्र 50 वर्ष पेशा घरुकार्य
 2. सीताराम साहू पुत्र स्व0 रंगलाल साहू उम्र 47 वर्ष पेशा खेती
 3. श्रीमती दुल्ली साहू पुत्री स्व0 रंगलाल साहू उम्र 45 वर्ष पेशा घरुकार्य
 4. श्रीमती लोली साहू पुत्री स्व0 रंगलाल साहू उम्र 42 वर्ष पेशा घरुकार्य
- सभी निवासी ग्राम चिनगो तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली म0प्र0

---निगरानीकर्ता

विरुद्ध

मोहनलाल साहू तनय बबई साहू निवासी ग्राम चिनगो तहसील चितरंगी
जिला सिंगरौली म0प्र0

---गैर निगरानीकर्ता

श्री. नरेश्वर सिंह, R5028-II/16 एड
द्वारा आज दिनांक 19-1-16 के
प्रस्तुत किया गया।

सिद्धर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा
के प्रकरण क्रमांक 146/अपील/2003-04 मे पारित
आदेश दिनांक 17.04.15 को अपील अवेट मानी
जाकर अंतिम निर्णत पारित किए जाने के बावजूद
क्षेत्राधिकार विहीन होते हुए निर्णित प्रकरण को पुनः
उसी नम्बर पर चालू किए जाने दिनांक 13.01.16
के विरुद्ध


✓

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5028-II/16

जिला-सिंगरौली

रंगलाल साहू वगैरः/मोहनलाल साहू

(1)	(2)	(3)
01.02.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	